बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 8099 खाद्य, पटना/दिनांक– 26/12/2012

प्रेषक,

एo केo सिन्हा,
मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति कार्य हेतु क्रय केन्द्र पर किसानों से भू–लगान रसीद आदि प्राप्त करने सम्बन्धी दिशा – निर्देश ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि खरीफ विपणन मौसम 2012–13 में धान अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आपको पत्रांक 7066 दिनांक 07.11.2012 द्वारा भेजा जा चुका है । विभिन्न श्रोतों से क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जाने वाले कागजात/भू–लगान रसीद संबंधी बिन्दु पर दिशा–निर्देश की मांग की जा रही है । इस सम्बन्ध में निम्न निदेश दिये जा रहे हैं :–

1. अद्यतन भू–लगान रसीद निर्गत नहीं होने अथवा भू–लगान रसीद के अद्यतन न रहने की स्थिति में इसके कारणों की समीक्षा एवं तत्सम्बन्धी On the Spot निर्णय लेने के लिए जिला समाहर्त्ता सक्षम हैं ।
2. जमीन के नामांतरण न होने की स्थिति में धान बेचने वाला किसान वास्तव में सही उत्तराधिकारी है या नही ? इस बिन्दू पर भी निर्णय लेने हेतु जिला समाहर्त्ता ही सक्षम हैं ।
3. जमीन मालिक का भूमि संबंधी दस्तावेज एवं फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर बटाईदार से धान क्रय किया जा सकता है।

इन मामलों के संबंध में जिला दण्डाधिकारी–सह–समाहर्त्ता सक्षम प्राधिकार हैं, और निर्णय लें ।

अतः अनुरोध है कि तत्सम्बन्धी निर्णय से अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दिया जाय ताकि अधिप्राप्ति कार्य में कोई व्यवधान न हो ।

विश्वासभाजन,

मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक – प्र04/ख0वि0अधि0–01/12– 8099 खाद्य, पटना/दिनांक– 26/12/2012

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, सोन भवन, पटना/सभी जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

मुख्य सचिव

D:\2012\Sec_4\KMS_12-13\KMS-12-13.doc